



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225589  
CG-DL-E-02032021-225589

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 905]  
No. 905]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

कृषि मंत्रालय  
(कृषि और सहकारिता विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

का.आ. 979(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (अजैव, जैव या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 21 के उपखंड (घ) के अनुसरण में निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक बायोस्टीमुलेंट्स का विनिर्माता या आयातकर्ता ऐसे बायोस्टीमुलेंट्स के आधार पर स्पष्ट रूप से चिन्ह लगाएगा, अर्थात् :-

1. विनिर्माता /आयातकर्ता का नाम:
2. विक्रेता का नाम, यदि कोई हो:
3. बायोस्टीमुलेंट्स का नाम (ब्रांड का नाम या व्यापार चिन्ह जिसके अधीन बायोस्टीमुलेंट्स बेचा गया है और इसके संघटक (को) और प्रतिशतता अंतर्वस्तु है। जिवाणु संघटकों के मामले में जीवित जिवाणु सी एफ यू ग्राम या सी एफ आई मिलिलीटर अभिव्यक्त होना चाहिए :
4. "उपयोग के लिए निदेश" (खुराक/पैदावार), पूर्ववधानी भंडारण की दशाएं :
5. शुद्ध अंतर्वस्तु:
6. समूह संख्या और विनिर्माण पुनःपैक करने की तारीख:
7. अवसान की तारीख:

8. अधिकतम उत्पाद की अधिकतम खुदरा कीमत:

9. उत्पाद के लेबल पर दावा:

टिप्पण 1.- लेबल इस प्रकार आधानों के चिपकाए जाएं कि इसे साधारणतया हटाया ना जा सके।

टिप्पण 2.- पैकेज को लेबल चिपकाया या संलग्न किया जाएगा जो या तो अंग्रेजी या हिंदी या प्रादेशिक भाषा में मुद्रित किया जाएगा।

[फा. सं. 3-14/2017 उर्वरक विधि]

नीरजा आदिडम, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
**(Department of Agriculture and Cooperation)**

**ORDER**

New Delhi, the 26th February, 2021

**S.O. 979(E).**—In pursuance of sub-clause (d) of clause 21 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby specifies the following particulars that every manufacturer or importer of biostimulant shall legibly mark on the container of such biostimulant, namely:-

1. Name of the manufacturer/importer:
2. Name of the marketer, if any:
3. Name of the biostimulant (brand name or trade mark under which biostimulant is sold) and its ingredient(s) and their percentage contents. In case of microbial ingredients, live microbe count should be expressed as CFU/gm or CFU/ ml:
4. "Direction for use" (dosage/crops), Precautions/storage conditions:
5. Net content:
6. Batch number and date of manufacturing/repacking:
7. Expiry date:
8. Maximum Retail Price of the Product:
9. Label claim of the product:

Note 1:-The label shall be so affixed to the containers that it cannot be ordinarily removed.

Note 2:-The label to be affixed or attached to the package shall be printed in either English or Hindi or regional language ( of the state where marketed)"

[F.No. 3-14/2017 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.